देश में उच्च शिक्षा का मात्रात्मक, गुणात्मक विकास एवं निजीकरण

राजेश कुमार जसवाल*

आज पूरे विश्व में, आर्थिक विकास में ज्ञान के संसाधनों की प्रभुसत्ता भौतिक संसाधनों की तुलना में बढ़ती जा रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। बाज़ार और समाज, परिवर्तन की अभिव्यक्ति के अच्छे सूचक हैं। इनसे संकेतों को ग्रहण कर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों, अध्यापकों के पढ़ने-पढ़ाने के तौर-तरीकों, उच्च शिक्षण संस्थानों में घटते शैक्षणिक दिवसों को बढ़ाने, शोधकार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ वर्तमान परीक्षा पद्धति में ऐसा बदलाव लाना होगा, जो वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार समाज की आवश्यकताओं को आत्मसात् करने की क्षमता रखता हो। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो भारतीय समाज व औद्योगिक तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार न तो हम शिक्षा का ढाँचा खड़ा कर पाएँगे, न ही हमारी उच्च शिक्षा देश व दुनिया की बदलती ज़रूरतों के साथ-साथ भारतीय परिवेश तथा यहाँ की परंपरा व संस्कृति के अनुकूल ही रह पाएगी। ऐसे में दुनिया की इन बदलती ज़रूरतों को, हमारी उच्च शिक्षा को समझना होगा, अन्यथा हमारा समाज ज्ञान की इस सदी में पिछड़ जाएगा। भले ही आज हमारे देश का उच्च शिक्षा का ढाँचा दुनिया में सबसे बड़ा हो, लेकिन आज भी बहुत बड़ी आबादी जहाँ उच्च शिक्षा से वंचित है तो वहीं गुणवत्ता की कसौटी पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश में 2020 तक उच्च शिक्षा की नामांकर दर को 30 फीसदी तक पहुँचाने के लिए जहाँ हमें ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान खोलने होंगे, वहीं इनकी पहुंच समाज के पिछड़े, आदवासी व गरीब तबके तक पहुँचाने की भी चुनौती है। परंतु यह सब उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से समझौता किये बगैर नहीं हो सकता। ऐसे में जहाँ हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को स्वीकार करना होगा तो वहीं निजी शिक्षण संस्थानों को भी अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। अन्यथा हमारी उच्च शिक्षा का ढाँचा जहाँ दुनिया के उंनत देशों के मुकाबले पिछड़ जाएगा तो वहीं देश का सामाजिक-आर्थिक उत्थान भी संभव नहीं हो पाएगा।

* *सहायक लोक संपर्क अधिकारी*, पांवटा साहिब, सिरमौर (हि.प्र.)

उच्च शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक विकास तथा सुसंस्कृत समाज की स्थापना का आधारभूत बिंदु होती है। कोई भी राष्ट्र जो विश्व में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं व अन्य देशों के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, उनके पास शिक्षा पर निवेश करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भारत वर्ष में भी लंबे समय से शिक्षा एक सामाजिक तथा लोकहितकारी सेवा के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ उच्च शिक्षा के जो प्रारंभिक प्रयास हुए, उनमें धनी व संपन्न लोगों ने भूमि, भवन तथा धन के द्वारा अपना भरपूर सहयोग दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका ज्वलंत उदाहरण है। भारत देश की उच्च शिक्षा की गौरवशाली परंपरा में तक्षशिला, नालंदा तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का नाम जुड़ा हुआ है, जहाँ पूरे विश्व के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे।[1]

पिछली सदी में जहाँ उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु समाज के भौतिक संसाधनों की वृद्धि रहा तो वहीं इस सदी में बदलते परिवेश में उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु *ज्ञान और सूचना* पर आधारित समाज हो गया है।[2] पूरे विश्व में आर्थिक विकास में ज्ञान के संसाधनों की प्रभुसत्ता भौतिक संसाधनों की तुलना में बढ़ती जा रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। आज हमें तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ चलने में एक निश्चित स्तर की क्षमता चाहिए। बाज़ार और समाज, परिवर्तन की अभिव्यक्ति के अच्छे सूचक हैं। इनसे संकेतों को ग्रहण कर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों व्याख्याताओं को पढ़ने-पढ़ाने के तरीकों और परीक्षा पद्धतियों में ऐसा बदलाव लाना होगा, जो परिवर्तन को हमारी आवश्यकतानुसार आत्मसात् करने की क्षमता रखता हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विदेशी विश्वविद्यालयों, औद्योगिक घरानों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार न तो हम शिक्षा का ढांचा खड़ा कर पाएँगें न ही हमारी उच्च शिक्षा भारतीय परिवेश तथा यहाँ की परंपरा व संस्कृति के अनुकूल ही रह पाएगी। दुनिया की इन बदलती ज़रूरतों को हमारी उच्च शिक्षा को समझना होगा अन्यथा हमारा समाज पिछडकर रह जाएगा।[3]

देश में उच्च शिक्षा का मात्रात्मक आयाम कितना है, यह जानने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी कुछेक आँकड़ों का उल्लेख सामयिक है। 1947 में भारत में लगभग 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय कार्यरत् थे। 50 वर्ष बाद 1996-97 में विश्वविद्यालयों की यह संख्या बढ़कर 232 और महाविद्यालयों की संख्या 9703 हो गई। जबकि *वर्तमान*[4] में उच्च शिक्षा का यह आँकड़ा लगभग 620 विश्वविद्यालय (जिसमें 298 राज्य विश्वविद्यालय, 130 डीम्ड विश्वविद्यालय, 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय व 148 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं) व 33000 महाविद्यालय तक पहुँच गया है। इसी तरह 1972-73 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में 21.60 लाख विद्यार्थियों का नामांकन था, जो 1996-97 में बढ़कर 67.50 लाख तथा वर्तमान में लगभग 250 लाख से भी अधिक हो गया है। जबकि 1996-97 में उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 3 लाख शिक्षक तथा वर्तमान में यह आँकड़ा लगभग 10 लाख शिक्षक हो गया है।

उच्च शिक्षा में संलग्न युवा शक्ति के आकलन के लिए *18–24 वर्ष का आयुवर्ग लिया जाता है*।[5] इस आयु वर्ग वाले युवाओं का मात्र 10–12 फीसदी ही उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। जबकि यही उच्च शिक्षा जर्मनी में 25 फीसदी, फ्रांस में लगभग 50 प्रतिशत, अमेरिका में 80 प्रतिशत तथा कनाडा में लगभग 90 फीसदी विद्यार्थियों की पहुँच में है। भारत जैसे विशाल व विश्व की दूसरी शैक्षिक व्यवस्था होने के वाबजूद महज 12 फ़ीसदी का आँकड़ा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गरीबी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। एक तरफ़ जहाँ देश में 18–24 आयुवर्ग के कुल 10–12 फीसदी छात्र ही उच्च शिक्षा में आ पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ़ देश में लगभग 25–30 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त इस समस्या को लेकर दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं जिसमें पहला कारण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में घटता सरकारी व्यय तथा दूसरा, देश में मूलभूत सुविधाओं मसलन रोजी–रोटी की तलाश में भटकती हमारी आधी अबादी है। इन परिस्थितियों में देश के अंदर उच्च शिक्षा को एक ऐसी दिशा दिए जाने की आवश्यकता है कि एक तरफ़ जहाँ देश की लगभग एक तिहाई आबादी को सम्मानजनक आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर खड़ा किया जा सके तो दूसरी तरफ़ भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाकर उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन अन्य देशों के समान स्तर पर लाना होगा और वह भी गुणवत्ता तथा स्तर में समझौता किए बगैर।[6]

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2020 तक छात्रों के नामांकन दर को 30 फीसदी तक हासिल करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सुझाव पर अमल करने के लिए जहाँ देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय व 45000 महाविद्यालय स्थापित करनें होगे तो वहीं विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों में अपनी पहचान बनाने का भी जबरदस्त दबाव होगा।[7] इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारत सरकार ने जहाँ विदेशी वि.वि. को देश में लाने का विचार कर रही है तो वहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है ताकि देश में उच्च शिक्षा की पहुँच जहाँ समाज के हरेक तबके के अधिकार में हो सके तो वहीं उच्च शिक्षा का स्तर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। लेकिन इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार उच्च शिक्षा के गुणात्मक पक्ष को कमज़ोर किये बगैर यह सब करना नहीं चाहती है।

हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में घटते शैक्षणिक दिवस तथा ज़रूरतों के हिसाब से शोध न होने की बातें हमेशा उठती रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दिशा में हमने कोई प्रयास भी नहीं किये हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने हेतु समय–समय पर अनेक समितियाँ व आयोग गठित होते रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यूजीसी द्वारा गठित प्रो. जे.के.ए. तरीन की अगुवाई वाली समिति ने अपनी सिफ़ारिशों में कहा कि स्थायी प्राध्यापकों को वि.वि. में हफ़्ते में कम से कम 40 घंटे और पूरे साल में 180 शैक्षिक दिन उपलब्ध रहना चाहिए।

समिति ने अपनी सिफ़ारिशों में यह भी कहा कि वि.वि. व कॉलेजों में एकसमान शिक्षक छात्र अनुपात तय करना कठिन है क्योंकि शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर अलग-2 तरह के पाठ्यक्रम होते हैं। इसलिए तरीन कमेटी ने अपनी सिफ़ारिशों में केंद्रीय वि.वि. और डीम्ड वि.वि. में पीजी स्तर पर विज्ञान संकाय में यह अनुपात 1:10, मानविकी व सामाजिक संकाय में 1:15, वाणिाज्य व प्रबंधन संकाय में 1:15 और मीडिया एवं पत्रकारिता में 1:10 होना चाहिए। जबकि स्नातक स्तर पर सामाजिक विज्ञान संकाय में 1:30, विज्ञान में 1:25, मीडिया एवं पत्रकारिता में 1:15 तथा बी.एड्. में इसे एन.सी.टी.ई. के मापदंडों के अनुसार बनाने की सिफ़ारिश की है।[8] ऐसे में गुणवत्ता लाने हेतु प्रो. तरीन कमेटी की यह सिफ़ारिशें काफ़ी अहम साबित हो सकती हैं। परंतु दूसरी तरफ़ यदि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता पर नज़र दौड़ाई जाए तो स्थिति एकदम विपरीत नज़र आ रही है। इस दिशा में प्राप्त आँकड़ों की बात करें तो देश के अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 30-40 फीसदी पद रिक्त चल रहे हैं।[9]

जबकि राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में भी लगभग 40-45 फीसदी पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में देश के अंदर खुले निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों की हालत इससे भी कहीं बदतर कही जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में प्रो. तरीन कमेटी की सिफ़ारिशें कैसे लागू होंगी, इस पर देश में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विरोधाभासी स्वर उठते रहे हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सर्वेक्षण के आधार पर देश की 60 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है, जिसमें से महज 12 फीसदी ही उच्च शिक्षा में आ पाते हैं। साथ ही हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 2.64 लाख छात्र उच्च शिक्षा हेतु विदेशों की ओर रुख करते हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 27,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं।[10] ऐसे में देश के अंदर ही उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने, छात्रों के नामांकन दर को बढ़ाने तथा छात्रों के विदेशों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विदेशी विश्वविद्यालय बिल-2010 को इस आशय के साथ संसद में लाया गया था कि जहाँ देश में नामी विदेशी विश्वविद्यालयों के यहाँ आने से उच्च शिक्षा का गुणात्मक स्तर बढ़ेगा तो वहीं देशी व विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ेगी। साथ ही हमारे युवाओं को विदेशी स्तर की उच्च शिक्षा यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन देश के अंदर इस कदम को लेकर शिक्षाविदों, राजनीतिक दलों व छात्र संगठनों में परस्पर विरोधाभासी स्वर देखने को मिल रहे हैं। जहाँ शिक्षाविदों व छात्रों का कहना है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ शिक्षकों, मूलभूत ढाँचे, विश्व स्तरीय सुविधाओं तथा आधुनिक तकनीकों के अभाव में विदेशी वि.वि. से पिछड़ जाएँगें जिसके कारण बेहतर सुविधाएँ जुटाने की आड़ में न केवल स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि उच्च शिक्षा का निजीकरण व व्यापारीकरण भी बढ़ेगा। जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों का मानना है कि देश के करोड़ों गरीब, आदिवासी व पिछड़े

क्षेत्रों से संबंध रखने वाले छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएँगें। इस संदर्भ में, इनका यही कहना है कि एक तरफ़ जहाँ हमारी सरकार उच्च शिक्षा में घटते निवेश को बढ़ाए, वहीं उच्च शिक्षा, समाज के हरेक तबके की पहुँच में हो सके। इस संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों व अन्य समाजसेवी संस्थाओं का कहना है कि जहाँ हमारे देश में उच्च शिक्षा पर प्रति छात्र खर्चा 400 डॉलर है, वहीं यही खर्चा चीन में 2,728, रूस में 1,024 तथा ब्राज़ील में 3,986 यूएस डॉलर है।[11] ऐसे में अब यही प्रश्न खड़ा हो रहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2020 तक 30 फीसदी छात्रों के नामांकन के लक्ष्य को गुणवत्ता व निजीकरण से समझौता किये बगैर क्या हम हाँसिल कर पाएँगें?

ऐसे में देश की सरकार ने उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर इस तथ्य के साथ विचार किया है कि हमारी उच्च शिक्षा मैकाले की पद्धति के कारण जहाँ गुणवत्तायुक्त शिक्षा दे पाने में विफ़ल साबित हो रही है, वहीं आज के बदलते दौर को देखते हुए उच्च शिक्षण संस्थान अपने लक्ष्य को हाँसिल नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा जहाँ देश में उच्च शिक्षित बेरोज़गारों की फौज़ लगातार बढ़ रही है, वहीं उद्योगों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार दक्ष लोगों की सप्लाई करने में हमारे उच्च शिक्षण संस्थान लगातार न केवल विफ़ल होते जा रहे हैं बल्कि उद्योगों की वर्तमान ज़रूरतों के आधार पर शोध भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस उद्देश्य के साथ निजी शिक्षण संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर बल दिया है कि एक तरफ़ जहाँ देश को ऐसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध हो सकेंगे जिनकी आज देश को नितांत आवश्यकता है साथ ही शिक्षा की लागत को कम कर सरकार के बोझ को भी कम किया जा सकेगा।

लेकिन इस संदर्भ में भी देश के शिक्षाविदों, विभिन्न राजनीतिक दलों व आम छात्रों का कहना है कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कॉरपोरेट जगत से जो सहयोग की अपेक्षा की गई थी, उसमें समाजहित कम तथा व्यापारिक हित ही सर्वोपरि रहा है। इस संदर्भ में देश के आम लोगों का यह भी कहना है कि सरकार से हर तरह की सहूलियत मसलन बिजली, पानी, ज़मीन इत्यादि लेने वाले निजी शिक्षण संस्थान समाज के प्रति अपेक्षित ज़िम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करते हैं। नतीजा आज देश का गरीब, पिछड़ा व आदिवासी क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाला आम छात्र बेहतर शिक्षा से वंचित हो रहा है तो वहीं वर्तमान औद्योगिक ज़रूरतों के हिसाब से न तो शोध कार्य हो पा रहे हैं और न ही दक्ष लोगों की आपूर्ति हो पा रही है। इसके विपरीत देश में विभिन्न तकनीकी व व्यावसायिक नियामक संस्थाओं द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों पर नियमों की अनदेखी कर शिक्षण संस्थानों को चलाने की अनुमति प्रदान करने के आरोप भी लगते रहे हैं। जिसमें चाहे डीम्ड वि.वि. को चलाने की अनुमति रही हो या फिर एआईसीटीई व एमसीआई पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हों।[12]

ऐसी परिस्थिति में हमारे उच्च शिक्षण संस्थान विश्व स्तरीय मानकों पर कैसे खरा उतर सकेंगे तथा देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार कैसे हो सकेगा, इसके लिए

निम्नलिखित सुझाव अहम हो सकते हैं-

1. प्रो. यशपाल समिति (Renovation and Rejuvenation of Higher Education) की सिफ़ारिशों के आधार पर विभिन्न नियामक संस्थाओं को समाप्त कर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो सके।
2. देश में विश्व स्तरीय गुणवत्ता की कसौटी पर अधिक से अधिक तकनीकी संस्थान जैसे—आई.टी.आई., पॉलीटैक्नीक व इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएँ ताकि युवाओं को आज के संदर्भ में विश्व स्तरीय रोज़गारोंमुखी शिक्षा मिल सके।
3. देश में चल रहे सभी केंद्रीय व राज्यीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए ताकि किताबी ज्ञान के साथ-साथ शोध में भी हम आगे बढ़ सकें।
4. निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों) में भी यू.जी.सी. द्वारा तय किये गए मापदंडों के तहत ही प्रशासनिक अधिकारियों (कुलपति, रजिस्ट्रार इत्यादि) व शिक्षकों की नियुक्तियाँ होनी चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा का स्तर समान बना रहे।
5. विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रो. तरीन कमेटी की सिफ़ारिशों को यथावत् लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए।
6. निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों व अन्य तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में कम से कम 25 फीसदी सीटें आर्थिक व सामाजिक तौर पर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए सरकारी संस्थानों के बराबर आरक्षित करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा के समान अवसर देश के सभी वर्गों को मिल सकें।
7. देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थानों में विश्व स्तरीय आधारभूत ढाँचा विकसित कर विदेशी छात्रों को आकृष्ट कर संस्थानों की आय में वृद्धि की जानी चाहिए।
8. प्रत्येक विश्वविद्यालय व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में 'संस्थान विकास कोष' गठित किए जाने चाहिए ताकि जहाँ समर्थ व इच्छुक व्यक्ति स्वेच्छा से धन दे सकें और वहीं गरीब मेधावी छात्रों का खर्चा उठाया जा सके।
9. देश में उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग को देखते हुए विश्वविद्यालय दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से तकनीकी व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन गुणवत्ता से समझौता किए बगैर करें ताकि इच्छुक व्यक्ति व्यवसाय के साथ-साथ उच्च शिक्षा हाँसिल कर अपने ज्ञान व कौशल में विकास कर सकें।
10. केवल उन्हीं विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में आने की इजाज़त मिलनी चाहिए जो अपने देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए विख्यात हों। साथ ही ऐसे पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वर्तमान समाजिक व वैश्विक ज़रूरतों को पूरा करते हों।
11. आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जिसमें उच्च शिक्षित

लोगों की भागीदारी चिंतनीय है। ऐसे में भारतीय समाज व यहाँ की संस्कृति तथा परंपराओं का विभिन्न व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के साथ आवश्यक तौर पर समावेशन करना होगा ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी वैश्विक ज्ञान के साथ-साथ अपने समाज, संस्कृति, इतिहास, नैतिकता, मूल्यों तथा यहाँ की लोक परंपराओं को भी जाने व उनको, अपने सार्वजनिक व निजी जीवन में उपयोग में लाएँ।

संदर्भ

हिंदी

1. घूमन, बी.एस. 2010. ''करप्शन इन एजुकेशन'', द *ट्रिब्यून*, चंडीगढ, मार्च 07, 2010.
2. पाण्डेय, कल्पलता. 2002. ''भारत में उच्च शिक्षा–निजी क्षेत्र की भूमिका'', *भारतीय आधुनिक शिक्षा,* जुलाई, पृ. 41-47.
3. पानागरिया, अरविंद. 2010. ''पर्स्यूइंग एक्सीलेंस एंड इक्विटी'', द *टाइम्स ऑफ़ इंडिया,* नयी दिल्ली/चंडीगढ़, अप्रैल 10, 2010.
4. यादव, अशोक कुमार. 2010. ''फॉरेन यूनीवर्सिटी विल बेनीफ़िट इंडिया'', द *ट्रिब्यून,* चंडीगढ़, फ़रवरी 07, 2010.
5. राष्ट्रीय संग्रहालय. 2001. *शैक्षणिक सुधार.* राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट, नयी दिल्ली, 14-15 मार्च.
6. सिंह, जे. पी. 2003. *''इक्कीसवीं सदी का भारत और शिक्षा संकट–एक अवलोकन'', कुरुक्षेत्र,* सितंबर, पृ. 7-10.
7. सिंह, शैलजा. 2001. ''उच्च शिक्षा का वाणिज्यीकरण'', *भारतीय आधुनिक शिक्षा,* अक्तूबर, पृ. 31-34.
8. सिंह, सुनील कुमार. 2001. ''भारतीय उच्च शिक्षा–संसाधनों की कमी और वाणिज्यीकरण'', *भारतीय आधुनिक शिक्षा,* अप्रैल, पृ. 42-45.

अंग्रेज़ी

9. Govt. of India. 2008. *Towars a Knowledge Society*. National Knowledge Commission Report, 2008, New Delhi.
10. Grewal, R.S. **"*Making Higher Education Industry Relevant*".** *The Tribune,* Chandigarh, June 18, 2013.
11. Recommendations of Prof. J.K.A.Taren; UGC constituted committee on Higher Education.
12. Recommendations of Prof. Yashpal Committee report (**Renovation and Rejuvenation of Higher Education;** first intrim report published on 1st march, 2009 and final report published on 25th June, 2009).